2016/00159

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 07/2016 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये ज्ञान प्रकाश शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक चौमू जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1.मैसर्स अग्रवाल गैस सर्विस चौमू जिला जयपुर ।

2.श्री अरूण बैराठी मालिक फर्म मैसर्स अग्रवाल गैस सर्विस एचपीसी एजेन्ट, चौमू जयपुर ।

3.श्री बंशीलाल मीणा मैनेजर फर्म मैसर्स अग्रवाल गैस सर्विस चौमू जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 14.2 किग्रा. क्षमता के भरे हुये एलपीजी के तीन घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 19 किग्रा क्षमता के 18 खाली वाणिज्यक गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

2. श्री वी॰ के॰ माथुर अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–4 जयपुर जिला जयपुर ने आदेश दिनांक 04.06.2016 से अपील स्वीकार इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.10.2007 को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया है कि अपीलार्थी/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पर पुनः विचार करते हुये नये सिरे से निर्णय पारित करे।

2. माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–4 जयपुर जिला जयपुर से पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री वी॰ के॰ माथुर अधिवक्ता उपस्थित है । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।

जिला कलेक्टर जयपुर

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनाक 04.12.206 को अप्रार्थी फर्म अग्रवाल गैस सर्विस चौमू की जांच करने पर डीलर द्वारा 15 वाणिज्यक सिलेण्डर की बिक्री/डिलीवरी मैसर्स शुभ लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज जैतपुरा को दिया जाना बताया परन्तु बिक्री/डिलीवरी के सम्बन्ध में कोई बिल/चालना/दस्तावेज जारी नहीं किये गये। अन्य 4 वाणिज्यक सिलेण्डर भरे हुये भी कम पाये गये । जिनकी बिक्री बाबत भी कोई बिल/चालान जारी नही किया गया। इस प्रकार बिना बिल जारी किये गैस सिलेण्डर्स की बिक्री की गई है। अप्राथी फर्म पर पंजीकृत कनेक्शनधारक उपभोक्ताओं का नाम एव पूर्ण पता सहित

कोई भी रजिस्टर संधारित नही किया गया है। यह सूचना कम्प्युटर मे होना बताया, परन्तु कम्प्युटर से कोई प्रिन्ट आउट उपलब्ध नहीं कराया गया। डीलर द्वारा नवीन कनेक्शन जारी करने का रजिस्टर संधारित किया गया है, परन्तु इस रजिस्टर में जारी किये गये कनेक्शन बाबत कोई विवरण अंकित नही है। उपभोक्ताओं को सूचित किये जाने वाला रिकार्ड भी सही संधारण नहीं किया गया । अप्रार्थी फर्म द्वारा चौमू कस्बे के आलावा 25 ग्राम व ढाणियों को गैस की आपूर्ति की जाती है, परन्तु रिफिल आपूति हेतु कोई भी दिनांक निर्धारित नहीं है। चौमू कस्बे में एक स्टोरेज पाईन्ट बना रखा है। जहा से अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं आपूर्ति प्राप्त की जाती है। मानपुरा माचेडी चौमू से 15 किमी से अधिक दूरी पर होने के बाद भी कनेक्शन जारी किये गये है जो विभागीय निर्देशों के विपरीत है। अप्रार्थी फर्म द्वारा उपभोक्ताओं को डोर स्टेप डिलेवेरी नही दी जा रही है एवं गोदाम से डिलेवरी के बावजूद राशि 8/–रूपये कम नही की जाती है। ऐजेन्सी के व्यवस्थापक श्री बंशीलाल मीणा एव अन्य कर्मचारियों से उपभोक्ताओ के रिफिल बाउचर निरीक्षण हेतु मांगे गये, परन्तु उन्होंने वांछित बाउचर निरीक्षण हेतु उपलब्ध नहीं कराये। स्टॉक रजिस्टर की जांच एवं भौतिक सत्यानन पर घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा के भरे हुये तीन सिलेण्डर तथा वाणिज्यक सिलेण्डर 19 किलो क्षमता के खाली 18 अधिक पाये गये। घरेलू सिलेण्डर 14.2 क्षमता के खाली सिलेण्डर 9 तथा 19 किग्रा. क्षमता के भरे हुये सिलेण्उर 19 कम पाये गये । उक्त अन्तर बाबत कोई भी उचित कारण मौके पर नही बताया गया । इस प्रकार अप्रार्थी फर्म द्वारा द्रवित पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन आदेश 2000 के खण्ड 9,10 व 4(2) तथा राजस्थान पैट्रोलियम पदार्थ (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश1990 के तहत जारी अनुज्ञात्र की शर्त संख्या 3, 6 व 11 का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर जब्त किये गये गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि शुभ लक्ष्मी पालीमार प्र॰ लि॰ का अप्रार्थी अग्रवाल गैस सर्विस को गैस सिलेडर का मांग पत्र दिया जा कर वाणिज्यक गैस सिलेण्डर भिजवाने का निवेदन किया गया है। जिसके आधार पर गैस सिलेण्डर्स की आपूर्ति कीं गई थी। स्टॉक में सभी सिलेण्डर्स की प्रविष्टी की हुई है। किसी प्रकार की अनियमितता नही की गई है। सभी सिलेण्डरों की रसीदें एवं बिल बाउचर्स अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अप्रार्थी की आराधिक मनः स्थित एवं बदनियति कतई नहीं रही है। अतः अप्रार्थी के कब्जे से जब्त सिलेण्डर्स य उससे विक्रित राशि अप्रार्थी को लौटाई जाने के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर जयपुर

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अप्रार्थी फर्म द्वारा दिनांक 04.12.2006 को दौराने निरीक्षण बिल बाउचर्स उपलब्ध नहीं कराने से तीन भरे हुये घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा क्षमता के एवं 18 खाली वाणिज्यक सिलण्डर 19 किग्रा. क्षमता के, जब्त किये गये थे, जिनके बाबत अप्रार्थी फर्म ने शुभ लक्ष्मी पालीमार प्र॰ लि॰ द्वारा जारी गैस सिलेडर्स का मांग पत्र व बिल बाउचर्स की फोटो प्रति पेश की है। जिससे स्टॉक में सभी सिलेण्डर्स की प्रविष्टी किय जाने की पुष्टि होती है। घरेलू गैस सिलेण्डर के स्टॉक व वितरण के दस्तावेज पेश कर दिये गये है। इस मामले में अप्रार्थी फर्म की आपराधिक मनः स्थित एवं बदनियति नहीं पाई जाती है। इसलिए प्रकरण में जब्त सिलेण्डर्स अप्रार्थी फर्म को लौटाया जाना वाजिब समझते है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त शुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किग्रा के भरे हुये एवं 18 वाणिज्यक सिलेण्डर 19 किलो क्षमता के खाली अप्रार्थी फर्म को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 14-1-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर